राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2008/2014.....जिला.....जयपुर.....
उनवान–मैसर्स तुषार जैम्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–एफ, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.12.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–एफ, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत् निर्धारण वर्ष 2010–11 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 18.06.2013 में कायम की गयी मांग राशि रू.54,287/– के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान उक्त की वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने के प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 28.11.2014 को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर तर्क दिया कि तर्क दिया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा भिन्न राय अवधारित कर, मांग राशि कायम की गयी है । कथन किया कि संचेतन मस्तिष्क से प्रकरण के गुणावगुण का विस्तृत विश्लेषण कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल निर्धारण आदेश पारित किया गया था, जिसका पुनर्विलोकन कर, परिशोधन करना अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं है, जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में छपा है, में यह अवधारित किया है कि परिशोधन में पुनर्विलोकन (review) शामिल नहीं है। अतः उक्त आधार पर पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सर्राफा डीलर्स व जैम्स एवम् स्टोन डीलर्स के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी शमन योजनायें, 2006, जो कमशः जरिये विज्ञप्ति कमांक एफ12(63) एफडी/टैक्स/2005–39 दिनांक 06.05.2006 व एफ12(63) एफडी/टैक्स/2005–37 दिनांक 06.05.2006 प्रकाशित दिनांक 08.05.2006 के अधिसूचित की गयी थी, के अनुसार विकल्प लेकर शमन राशि का भुगतान आलोच्य अवधि में किया गया था तथा इस संबंध में कायम मांग राशियों को अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जमा करवा दिया गया था। कथन किया कि विलम्ब राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण योजना के क्लॉज 5.4 की आड़ में पूर्ण दर से करारोपण व अनुवर्ती ब्याज आरोपित करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना लगातार.....2	

04.12.2014

प्रकट कर, बकाया राशि रू.54,287/– पर रोक लगाने का तर्क दिया गया अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, विशिष्ट रूप से तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा जारी शमन योजनायें, जो दिनांक 06.05.2006 को अधिसूचित की गयी हैं, के क्लॉज 5.4 के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करना प्रकट है । कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा दिनांक 29.03.2012 को अपील संख्या 325/2012/जयपुर, मैसर्स प्रसादम् ज्वैलर्स प्रा.लि., 24–25, खासा कोठी सर्किल, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वृत्त–बी, जयपुर में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है । अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवम् उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करने व के पश्चात्, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हस्तगत प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध सर्राफा डीलर्स एवम् जैम्स तथा स्टोन्स डीलर्स के लिये अधिसूचित शमन योजनायें प्रकाशित दिनांक 08.05.2006 के क्लॉज 5.4 का उल्लंघन होना प्रकट है। अतः ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के प्रकाश में, अपील के गुणावगुण के अन्य बिन्दुओं को प्रभावित किये बिना, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रत्यर्थी विभाग के पक्ष में होना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.03.2012 को अपील संख्या 325/2012/जयपुर, मैसर्स प्रसादम् ज्वैलर्स प्रा.लि., 24–25, खासा कोठी सर्किल, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वृत्त–बी, जयपुर में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार किया गया है। फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण सुनवायी हेतु दिनांक 01.04.2015 को एकलपीठ जयपुर के समक्ष नियत हो।

निर्णय प्रसारित किया गया।

4.12.2014

(मदन लाल)
सदस्य